

**कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची ।**

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन-834002, Email-pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक: 526

राँची, दिनांक:- 17.7.2020

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- लिलो 220 के0भी0 एस0/सी0 टी0टी0पी0एस0 गोविन्दपुर से जैनामोड़ तक ट्रांशमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 34.739 हे0 वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो का पत्रांक 1073 दिनांक 26.06.2020

महाशय,

प्रांशगिक पत्र द्वारा विषयगत परियोजना लिलो 220 के0भी0 एस0/सी0 टी0टी0पी0एस0 गोविन्दपुर से जैनामोड़ तक ट्रांशमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 34.739 हे0 वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव FP/JH/Trans/40558/2019 Online तथा Hard Copy इस कार्यालय में प्राप्त हुआ हैं। पत्र की (छायाप्रति संलग्न) वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है :-

1. यह परियोजना बोकारो वन प्रमंडल अन्तर्गत अवस्थित है तथा प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति रकबावार/प्रमंडलवार निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	वन प्रमंडल का नाम	अधिसूचित वनभूमि का रकबा	जंगल-झाड़ी वनभूमि का रकबा	कुल रकबा	वनस्पति घनत्व
1	बोकारो	4.298	30.441	34.739	0.6

2. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र में Form A Part-I में आवेदन दर्ज है। अनु0-01
3. प्रस्ताव के साथ पार्ट-II में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमंडल का मंतव्य एवं अनुशंसा दर्ज है। एवं पार्ट-III में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो का मंतव्य एवं अनुशंसा दर्ज है। साथ ही संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी बोकारो का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अनु0-XXI संलग्न है।
4. पार्ट-IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य संलग्न है।
5. प्रस्ताव के साथ मौजा मैप पर ट्रांसमिशन लाईन का आरेखन दिखाते हुए संलग्न है। अनु0- XV
6. 1:50,000 स्केल के टोपोशीट पर लोकेशन मैप संलग्न है। अनु0-XVI

7. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी प्लॉटवार/मौजावार/रकबावार/निम्नवत् है। अनु0-V एवं VI
8. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का Geo- reference मैप संलग्न है। अनु0-XIII एवं XIV
9. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का KML, मैप संलग्न है। (In CD) अनु0-XVII
10. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो के पार्ट-II में दर्ज प्रतिवेदन के अनुसार प्रस्तावित Transmission line संरेखन में पड़ने वाले वृक्षों की कुल संख्या 866 है।
11. प्रस्ताव के साथ वृक्षों की गणना सूची संलग्न है अनु0-XII
12. प्रस्ताव के साथ लागत-लाभ विश्लेषण संलग्न है। अनु0-IV
13. इस परियोजना में प्रयुक्त 30.441 हे0 जंगल-झाड़ वन भूमि उपयोग के विरुद्ध आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग के पत्रांक 851 (क0) दिनांक 16.07.2019 द्वारा कुल 37.1321 हे0 हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न है। अनु0-X
14. प्रस्ताव के साथ वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत उपायुक्त, बोकारो द्वारा निर्गत दावारहित प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता दी गई है। प्राप्त होने पर अलग से भेज दिया जायगा। अनु0-XI
15. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं C.A की राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता दी गई है। अनु0-VIII एवं IX
16. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कुल 34.739 हे0 अपयोजित होने वाली वनभूमि के दो गुणे 69.478 हे0 अवकृष्ट वन भूमि का चयन किया गया है, जो निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	वन प्रमंडल का नाम	मौजा का नाम	थाना/ थाना नं0	प्लॉट सं0	चयनित अवकृष्ट वनभूमि का रकबा
1.	गिरीडीह पूर्वी	चेपो	गिरीडीह / 103	26, 46	19.478 हे0
2.	गिरीडीह पूर्वी	फतेहपुर	देवरी	31	50. हे0
कुल :-					69.478 हे0

17. प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित वनभूमि का नक्शा, DGPS, KML file, वन प्रमंडल पदाधिकारी का उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन संलग्न है। अनु0-XX
18. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी व्याघ्र परियोजना, गज आरक्ष्य एवं बायोस्फेयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है।
19. प्रस्ताव के साथ CWLW, झारखण्ड का मंतव्य प्राप्ति हेतु उनसे अनुरोध किया जा रहा है। प्राप्त होने पर अलग से भेजा जायेगा।
20. वन प्रमंडल पदाधिकारी बोकारो ने अपने पार्ट-II के कंडिका 11 के उप कंडिका (I) में No Violation, अंकित किया गया है।
21. प्रस्तावित वनभूमि के अपयोजन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा टावर निर्माण वाली स्थान से वृक्षों को Trans Plant किये जाने के शर्त पर अनुशंसा की गई है,
22. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। तदोपरान्त प्रस्ताव को ऑनलाईन कर Time Line इस पत्र के साथ संलग्न है।

प्रस्ताव की तीन मूल प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना हेतु कुल 34.739 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु स्टेज-I प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०:—यथोक्त।

विश्वासभाजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

K. D.
17.7.20

PART -IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department).

*LILLO OF ONE CIRCUIT OF 220 KV D/C TTPS
GOVINDPUR TI OF GSS JAINAMORE 34.739 ha*

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 34.739 ha of Forest land.

Date :- 17.07.2020

Place :- Ranchi.

Signature


(A.K. Rastogi)

Nodal Officer

Name & Designation.

Principal Chief Conservator of Forests
Cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)